श्रीधर सी0, भा0प्र0से0, जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया द्वारा दिनांक 04.10.2012 को जिला आपूर्ति शाखा, पश्चिम चम्पारण, बेतिया का किए गए निरीक्षण की टिप्पणी :–

1.0 परिचय :–

पश्चिम चम्पारण जिला का सृजन दिनांक 08.11.1972 को हुआ एवं इसी तिथि से जिला आपूर्ति कार्यालय, पश्चिम चम्पारण कार्यरत् है।

2.0 प्रभार :–

श्री सुखदेव प्रसाद, वरीय उप समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया दिनांक 05.07.2012 से जिला आपूर्ति पदाधिकारी के प्रभार में हैं। इनके पूर्व श्री गौतम पासवान, जिला भू–अर्जन पदाधिकारी दिनांक 01.07.2012 से प्रभार में थे। दिनांक 30.06.2012 को मो0 गुफरान अहमद, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के सेवानिवृत्ति के कारण जिला आपूर्ति पदाधिकारी का पद प्रभार में चल रहा है।

3.0 पूर्व निरीक्षण :–

विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पूर्व में किये गये कार्यालय निरीक्षण की स्थिति निम्नप्रकार है :–

कमांक	निरीक्षी पदाधिकारी का नाम/पदनाम	निरीक्षण की तिथि	निरीक्षण टिप्पनी प्राप्ति की तिथि	अनुपालन की तिथि
1.	अपर सचिव, बिहार, पटना	18.08.1976	13.09.1976	21.11.1976
2.	उप निदेशक, खाद्य आपूर्ति मुजफ्फरपुर।	30.07.1986	11.09.1986	25.12.1986
3.	जिला पदाधिकारी, प0 चम्पारण, बेतिया।	30.03.1985	07.05.1985	16.01.1986
4.	अपर जिला दण्डाधिकारी, प0 चम्पारण, बेतिया।	15.01.1986	20.03.1986	26.06.1986
5.	श्री सी0लाल सोता, भा0प्र0से0, आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर	12.08.2006	01.09.2006	03.12.2006
6.	डा0 बी0 राजेन्दर, भा0प्र0से0, जिला पदाधिकारी, प0 चम्पारण, बेतिया।	09.10.2010	दिशा–निर्देश अनुपालन किया गया है।	

4.0 कार्यालय कर्मचारियों की स्थिति :–

जिला आपूर्ति कार्यालय में स्वीकृत पद बल के विरूद्ध कार्यरत कर्मियों की स्थिति निम्नवत् है :–

कमांक	पदनाम	स्वीकृत बल	पदस्थापित बल	रिक्ति
1	कार्यालय अधीक्षक	1	0	1
2	प्रधान लिपिक	1	1	0
3	लिपिक	3	3	0
4	कार्यालय परिचारी	2	2	0

कार्यालय अधीक्षक के रिक्त पद पर पदस्थापन हेतु जिला स्थापना शाखा से पत्राचार करने का निदेश दिया गया है।

5.0 क्षेत्रीय पदाधिकारीगण :–

इस कार्यालय अंतर्गत क्षेत्रीय पदाधिकारियों के स्वीकृत पद बल के विरूद्ध कार्यरत बल की विवरणी निम्नवत् है :–

कमांक	पदनाम	स्वीकृत पदबल	पदस्थापित बल	रिक्ति
1.	सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी	03	0	03
2.	पणन पदाधिकारी	10	03	07
3.	आपूर्ति निरीक्षक	19	05	14

5.1 कुल 18 प्रखंडों के जिला में मात्र 8 पदाधिकारी क्षेत्रीय स्तर पर उपलब्ध है; शेष पद अतिरिक्त प्रभार में चल रहा है जिसके कारण सुचारू रूप मे आपूर्ति से संबंधित कार्यों के निष्पादन में कठिनाई हो रही है। प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से पत्राचार कर रिक्त पदों पर पदस्थापना की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

6.0 पत्राचार :–

पत्राचार हेतु अनुक्रमणिका पंजी, प्राप्त पत्रों की प्रधान एवं अप्रधान पंजी, निर्गत पत्रों की की प्रधान एवं अप्रधान पंजी अलग–अलग संधारित है। प्राप्त एवं निर्गत पत्रों की पंजी में प्रविष्टी निम्नप्रकार है:–

	प्रधान	अप्रधान
प्राप्त पत्र	167	373
निर्गत पत्र	215	746

7.0 कर्मपुस्तिका :–

प्रधान लिपिक/लिपिक के लिए अलग–अलग कर्मपुस्तिका संधारित है। प्रधान लिपिक, श्रीमति सुधा फेलिक्स, लिपिक एवं श्री रविशंकर रजक, लिपिक का कर्मपुस्तिका अद्यतन संधारित है। उनके कर्म पुस्तिका में प्राप्त एवं निष्पादित पत्रों की विवरणी निम्नवत है :–

क्र	कर्मी का नाम	कुल प्राप्त पत्र	निष्पादित पत्र	लंबित पत्र
1	जयशंकर राम अकेला, लिपिक	79	62	17
2	श्रीमती सुधा फेलिक्स, लिपिक	55	53	02
3	रविशंकर रजक, लिपिक	40	31	09

7.1 लंबित पत्रों का निष्पादन एक सप्ताह के अंदर पूर्ण कर अनुपालन प्रेषित करेंगे।

8.0 जन वितरण प्रणाली विक्रेता :–

पश्चिम चम्पारण जिले में जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं की प्रखंडवार स्थिति निम्नवत् है:–

क्र	प्रखड का नाम	कुल दुकान की संख्या	अ.जा.	अ.ज. जा	सहयोग समिति / पैक्स	महिला	अल्प संख्यक	पिछडी जाति	सामान्य	अ0पि0वर्ग	विकलांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	बेतिया	186	23	4	2	17	26	63	31	15	2
2	मझौलिया	151	41	–	–	6	20	32	30	7	.
3	नौतन	111	26	–	2	4	12	35	10	12	.
4	बैरिया	120	25	–	6	12	11	39	14	14	.
5	योगापट्टी	142	37	–	1	12	9	48	14	8	1
6	चनपटिया	154	27	–	1	15	16	41	34	2	.
7	नरकटियागंज	197	32	2	6	12	43	35	27	32	.
8	लौरिया	121	18	1	–	7	17	21	20	13	1
9	गौनाहा	86	15	15	–	2	4	25	4	15	1
10	सिकटा	85	15	–	3	1	22	11	7	6	.
11	मैनाटांड	81	10	2	2	6	20	22	4	1	.
12	बगहा–1	144	32	1	1	4	15	35	29	12	.
13	बगहा–2	192	17	25	–	19	13	76	29	3	1
14	रामनगर	115	20	14	–	8	10	21	20	11	1
15	मधुबनी	58	10	–	–	1	2	34	4	.	.
16	पिपरासी	23	4	–	–	2	3	9	–	1	.
17	ठकराहां	45	3	1	–	1	2	18	8	6	.
18	भितहां	50	4	2	–	2	4	25	4	2	.
	कुल	2049	359	67	24	131	249	589	289	160	7

8.1 खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रधान सचिव के द्वारा पश्चिम चम्पारण जिला में आवश्यकता से अधिक संख्या में जन वितरण प्रणाली के संचालन के संबंध में प्रतिवेदन की मांग की जाती रही है। इसके संबंध में सभी अनुमंडल पदाधिकारी से पंचायत वार सुस्पष्ट प्रतिवेदन प्राप्त कर एक पक्ष के अंदर विभाग को प्रतिवेदित करना सुनिश्चित करेंगे।

9.0 ठेला भेंडर :–

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या 15770/06 के कुल 12 ठेला भेंडरो के संबंध में पारित आदेश के द्वारा 12 किरासन तेल बिक्रेताओं को ठेला भेंडर में परिवर्तित कर तत्काल प्रभाव से किरासन तेल आपूर्ति करने का आदेश पारित किया गया है। परंतु इस में से मात्र एक याचिकाकर्ता को किरासन तेल की आपूर्ति की जा रही है। शेष ठेला भेंडरों को आपूर्ति करने के लिए किरासन तेल की आपूर्ति की मांग लगातार विभाग से किया जाता रहा परंतु इस संबंध में विभाग की ओर से उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि माननीय उच्च न्यायालय की प्रति संलग्न कर विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त करें तथा राज्य सरकार स्तर पर आयोजित बैठक में विभागीय निदेश प्राप्त कर कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

10.0 खाद्यान्न–बी0पी0एल0 :–

इस जिले में नवसर्वेक्षित बी0पी0एल परिवारों की कुल सख्या–438012 है, जिसमें 402061 ग्रामीण क्षेत्र एवं 35951 शहरी क्षेत्र के परिवार को 10 किलो गेहूं तथा 15 किलो चावल प्रति परिवार की दर से खाद्यान्न का आवंटन किया जाता है। गेहूं 5.22 रू0 तथा चावल 6.75 रू0 प्रति किलोग्राम दर निर्धारित है।

माह–अगस्त 2012 में खाद्यान्न उठाव एवं वितरण की स्थिति निम्नवत् है :–

बी0पी0एल0 लाभुकों की सं0	खाद्यान्न का आवंटन		खाद्यान्न का उठाव		खाद्यान्न का वितरण	
438012	43801.20	65701.80	18252.86	24146.58	17667.86	23423.40

11.0 खाद्यान्न–अन्त्योदयः–

इस जिले में नवसर्वेक्षित अन्त्योदय परिवारों की कुल संख्या–118848 है, जिसमें 108658 ग्रामीण क्षेत्र एवं 10190 शहरी क्षेत्र के परिवार सम्मिलित हैं। सर्वेक्षित पारिवारिक सूची के अन्त्योदय लाभान्वितों को 14 किलो गेहूं तथा 21 किलो चावल की आपूर्ति प्रति माह की जाती है। गेहूं 2.00 रू0 तथा चावल 3.00 रू0 प्रतिकिलो ग्राम दर निर्धारित है। माह–अगस्त 2012 में खाद्यान्न उठाव एवं वितरण की स्थिति निम्नवत है :–

अन्त्योदय लाभुकों की सं0	खाद्यान्न का आवंटन		खाद्यान्न का उठाव		खाद्यान्न का वितरण	
118848	**16638.72**	**24958.08**	**7619.86**	**11199.91**	**7518.08**	**11098.68**

12.0 खाद्यान्न–अन्नपूर्णा अन्न योजना :–

इस जिले में अन्नपूर्णा अन्न योजनान्तर्गत कुल–5123 नव सर्वेक्षित परिवार है, जिन्हें 6 किलोग्राम गेहूं एवं 4 किलोग्राम चावल की दर से मुफ्त वितरण किया जाता है। माह–अगस्त 2012 में खाद्यान्न की उपलब्धता अनुसार 9 प्रखंडों के लाभान्वितों के बीच 166.44 किलोग्राम गेहूं एवं 110.96 किलोग्राम चावल का वितरण किया गया है। शेष 9 प्रखंडों के लिए उपावंटन अनुसार भंडार निर्गमादेश निर्गत करने हेतु जिला प्रबंधक, रा0 खा0 निगम, बेतिया को निदेश देना सुनिश्चित करें। खाद्यान्न का बैकलॉग की स्थिति रा0 खा0 निगम से प्राप्त कर इसे नियमित करने का निदेश निर्गत करें।

पूर्व में अन्नपूर्णा लाभार्थी का भौतिक सत्यापन कर मृत व्यक्तियों के विरूद्ध नए लाभार्थी का चयन करके प्रत्येक प्रखंड में लक्ष्य के अनुरूप अन्नपूर्णा योजना लाभार्थी का चयन कर खाद्यान्न उठाव एवं वितरण किया गया है इससे संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन समेकित कर एक पक्ष के अंदर प्रेषित करने का निदेश दिया गया।

जिला स्तर पर आपूर्ति विभाग की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि भारतीय खाद्य निगम के द्वारा पर्याप्त मात्रा में चावल उपलब्ध कराने के कारण वर्तमान में बगहा अनुमंडल के मधुबनी, पिपरासी, ठकराहा एवं भितहां प्रखंड में जुलाई माह का ही खाद्यान्न का उठाव किया जा रहा है। रामनगर प्रखंड का अगस्त माह का उठाव किया जा रहा है। जिला के शेष प्रखंडों में जुलाई/अगस्त माह का उठाव प्रारंभ किया गया है। अतः यह आवश्यक है कि उठाए गए पूर्ण खाद्यान्न का अद्यतन उठाव सुनिश्चित की जाय तथा उठाव की गयी पूर्ण खाद्यान्न को जन वितरण प्रणाली दुकान के माध्यम से इस माह के त्यौहार से पूर्व शत प्रतिशत वितरण सुनिश्चित की जाय। जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि उठाव एवं वितरण का अनुश्रवण कर उठाव/वितरण का कार्य अद्यतन माह तक कराना सुनिश्चित करें। साथ ही पंचायत स्तर पर आपूर्ति अनुश्रवण समिति अनुमंडल स्तर के आपूर्ति अनुश्रवण समिति की नियमित बैठक कर निगरानी रखना सुनिश्चित करेंगे।

13.0 किरासन तेल :–

पश्चिम चम्पारण जिला में किरासन तेल के कुल 11 थोक विक्रेता हैं। शहरी क्षेत्र के लिए 2.225 लीटर तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2.750 लीटर की दर से किरासन तेल का प्राप्त आवंटन से उपावंटित किया जाता है।

किरासन तेल लाभुकों की सं0	आवंटन	वितरण
881070	2424000	2350362

14.0 राशन / किरासन कूपन :-

परिवारों की सं0-

ए0पी0एल0	बी0पी0एल0	अन्नपूर्णा	अन्त्योदय	कुल
324210	438012	5123	118848	881070

प्राप्त कूपनों की स0 :-

ए0पी0एल0	बी0पी0एल0	अन्त्योदय	कुल
324316	438031	118860	881207

वितरित कूपनों की सं0-

ए0पी0एल0	बी0पी0एल0	अन्त्योदय	कुल	प्रतिषत्
319008	427278	116161	862446	98 प्रतिषत्

कूपन वितरण का अंतिम प्रतिवेदन उपलब्ध कराने तथा अवशेष कूपन को अनुमंडल कार्यालय में जमा कराने हेतु सभी अनुमंडल पदाधिकारी को निदेश निर्गत करें।

वितरण पश्चात अवशेष कूपनों को प्रत्येक प्रखंड में वापस प्राप्त कर बक्सा में सील बंद कर रखने का निदेश दिया गया था। अवशेष कूपन से संबंधी प्रतिवेदन प्राप्त कर के एक पक्ष के अंदर प्रेषित करने का निदेश दिया गया।

15.0 राशन कार्ड :-

पश्चिम चम्पारण जिला में वर्ष-2009-10 में सभी प्रखंडों को निम्नप्रकार राशन कार्ड की आपूर्ति जिला आपूर्ति कार्यालय से की गई थी :-

पीला कार्ड	लाल कार्ड	हरा कार्ड	कुल
118848	427966	309094	855908

वर्त्तमान में अधोहस्ताक्षरी के जनता दरबार में राशन कार्ड से वंचित व्यक्तियों द्वारा शिकायत प्राप्त होती रहती है। वैसे सर्वेक्षित परिवारों की सूची जो राशन कार्ड से वंचित हैं, अनुमंडल पदाधिकारी से प्राप्त कर उन्हें राशन कार्ड उपलब्ध कराने हेतु स्थानीय स्तर पर राशन कार्ड मुद्रण कराना सुनिश्चित करेंगे। वितरित राशन कार्ड की राशि (2.00 रू0 प्रति राशन कार्ड की दर से) मात्र चनपटिया, बैरिया, बगहा-1 एवं भितहॉ द्वारा कोषागार में जमा कराया गया है। शेष प्रखंड विकास पदाधिकारी को एक सप्ताह के अंदर राशि जमा करा कर चालान की प्रति उपलब्ध कराने का निदेश निर्गत करें।

राशन कार्ड का मात्र अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा दिए गए अधियाचना के आलोक में जिला स्तर पर निर्धारित दर पर मुद्रित कराकर पर्याप्त मात्रा में राशन कार्ड को कैटोगरी वार संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को हस्तांतरण करना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक

प्रखंड में पंचायत वार कैम्प की तिथि निर्धारित कर अवशेष राशनकार्ड का वितरण 14 नवम्बर, 2012 से पूर्व सुनिश्चित करेंगे।

16.0 सत्यापन :–

हॉलसेल भेंडरों का अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा भंडार का सत्यापन कराकर एक पक्ष के अंदर प्रतिवेदन प्राप्त करेंगे।

सभी अनुमंडल पदाधिकारी के सुरक्षित कोटे से विभिन्न सरकारी संस्थाओं के उपयोग के लिए किरासन का आवंटन किया जाता रहा है। इसकी मासिक खपत एवं अवशेष का प्रतिवेदन अनुमंडल पदाधकारी से प्राप्त कर समेकित कर जिन अनुमंडलों में उपलब्ध कराये गये सुरक्षित कोटे का किरासन तेल काफी मात्रा में अवशेष है, मांग के अनुसार संस्थाओं को आवंटित करना सुनिश्चित करेंगे।

17.0 राशन कार्ड कम्प्यूटराईजेशन :–

माननीय सर्वोच्य न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में राशन कार्ड का कम्प्यूटराईजेशन कार्य दिनांक 30.10.2012 तक निश्चित रूप से पूर्ण कर लिया जाना है, जिसके डाटा–इन्ट्री हेतु बेलट्रान द्वारा मे0 मधुप इन्फोटेक, पटना को भेंडर के रूप में अधिकृत किया गया है। कम्प्यूटरीकरण कार्य हेतु जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के द्वारा संधारित पारिवारिक सूची की कम्प्यूटरीकृत सूची का प्रिंट आउट प्राप्त कर उसमें दुकानदारों का नाम, दुकानदार की अनुज्ञप्ति सख्या, लाभुक का प्रकार यथा ए0पी0एल0, बी0पी0एल0, अन्त्यांदय, अन्नपूर्णा इत्यादि राशनकार्ड नम्बर अंकित कराकर विभाग के द्वारा चयनित भेंडर मधुप इंफोटेक को 10.10.2012 से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। इस निमित्त सभी अनुमंडल पदाधिकारी को अर्द्ध सरकारी पत्र निर्गत करना जिला आपूर्ति पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे।

18.0 जन वितरण बिक्रेताओं का डाटा बेस :–

जन वितरण प्रणाली बिक्रेताओं के डाटा बेस को ऑन लाईन करने हेतु सभी जन वितरण प्रणाली दुकानदार, हॉल सेल किरासन बिक्रेता अनुज्ञप्तिधारी की सूची अद्यतन कर जिला के बेवसाइट पर प्रेषित कराना सुनिश्चित करेंगे।

(श्रीधर सी0)
जिला पदाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

ज्ञापांक 1555 / गो0, दिनांक 10/10/2012

प्रतिलिपि – जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी अनुमंडल पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण / आई0टी0 मैनेजर, पश्चिम चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(श्रीधर सी०)
जिला पदाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

ज्ञापांक 1555 / गो0, दिनांक 10/10/2012

प्रतिलिपि :– आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, खाद्य उपभोक्ता एवं संरक्षण विभाग, बिहार पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(श्रीधर सी०)
जिला पदाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।